

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 18/2024

राजस्थान सरकार जरिये नीरज कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स बालाजी भोजनालय

रेल्वे स्टेशन के सामने, अजमेर

श्री विमल गुप्ता पुत्र श्री मांगीलाल गुप्ता

पुलिस थाना, क्लॉक टावर अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपरिस्थित: श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी - पैरोकार सरकार

श्री विमल गुप्ता अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 30.07.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 27.5.2024 को जिला रसद अधिकारी अजमेर (प्रथम) के आदेशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग रोकने के अभियान के तहत जांच दल मैसर्स बालाजी भोजनालय रेल्वे स्टेशन के सामने अजमेर पहुँचे। उक्त फर्म पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डरों के संदर्भ में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। निम्न घरेलू गैस सिलेण्डरों

S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
अपठित	indan	15.0	18.0	3.0

को श्री नीरज जैन द्वारा जब्त किया गया। फर्म पर घरेलू गैस सिलेण्डर का चाय/नाश्ता बनाकर विक्रय करने के काम में घरेलू सिलेण्डर दुरुपयोग करना पाया गया यह घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डर का दुरुपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1)(सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.

जिला कलक्टर
अजमेर

पी.जी. सिलेण्डरों को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर श्री प्रकाश खेतावत पुत्र पूरन चन्द खेतावत ख्वाजा गैस एजेन्सी अजमेर को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुर्पुदगी में दिए गए जिसका सुपुर्दगीनामा अलग से लिखा गया। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की जानकारी के अभाव में किया गया जिसकी जानकारी अप्रार्थी को नहीं थी। प्रार्थी अब भविष्य में इस घटना को दुबारा अंजाम नहीं देगा। अतः प्रकरण में सुनवाई किए जाने बाबत निवेदन किये जाने पर पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 27.05.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरुपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये एक घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात फरमाया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 27.05.2024 के अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये एक गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। अतः जिला रसद अधिकारी अजमेर उक्त सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ० भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर